न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 158/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरीराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर		तहसीलदार, मुण्डवा

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:20.12.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/2018 सरकार बनाम हरीराम में निर्णय दिनांक 02.07.2018 के तहत मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2292 रकबा 0.11 बीघा गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.07.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित किया होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)–अपीलांट/प्रार्थी के विरूद्व पूर्व मे भी धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई, जिसमें अपीलांट का अतिक्रमण बताकर उसे बेदखल कर दिया। उसके पश्चात् अपीलांट ने एक इंच जमीन पर भी कब्जा नही किया, तो भी उसे नोटिस दिया, तो उसने पूर्व में जवाब में उल्लेख किये कि मैंने किसी तरह का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है, मुझे गलत नोटिस दिया गया है तो तत्कालीन समय में पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई तो उसने रिपोर्ट मे यह लिखा कि उसे अपीलांट को पूर्णतया बेदखल कर दिया गया है। उस दिन की ओर आज की स्थिति यथावत पडी है। उसके पश्चात अपीलांट व अन्य ग्रामीणों ने तहसीलदार, श्रीमान जिला कलक्टर के समक्ष निवेदन किया कि हमारे अलावा अन्य 23 व्यक्तियों का अतिक्रमण है, उनका अतिक्रमण आज तक नही हटाया गया है और न ही इनके विरूद्व कोई कार्यवाही की गई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया, तो अपीलांट/प्रार्थी व अन्यों ने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत की, इससे क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पटवारी हल्का कुचेरा से अपीलांट/प्रार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती कब्जे की रिपोर्ट लेकर उसके विरूद्व यह प्रकरण सं. 39/18 दर्ज कर अपीलांट को नोटिस दिया। जिसमें अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैंने कब्जा हटाने के बाद एक इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नही किया है स्थिति ज्यो की त्यो है, आप मौके की जांच करवाये और जांच मे अगर मेरा एक इंच जमीन पर भी कब्जा हटाने के बाद कब्जा पाया जाता है तो मेरे विरूद्व कार्यवाही कीजिये, अन्यथा अगर पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है, तो उनके विरूद्व भी कार्यवाही कीजिये और पूर्व में भी अपीलांट ने अपने जवाब में यह निवेदन किया था कि मुस्तकिल पाइंट से नाप करके मुझे मेरे खेत की सीमा अवगत करवा दो, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जवाब नही दिया और यह लिख कर दे दिया कि आपको पता है कि आपने कब्जा कितना किया है, जो एक बडा हास्यास्पद उत्तर था। इस

अपर कलक्टर, नागौर

बार भी अपीलांट ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि आप प्रशिक्षित रेवेन्यू अधिकारियों से या आरआई से या पटवारी से मुस्तकिल पाइंट का नाप करवाकर के मेरे खेत की वास्तविक सीमा का मुझे ज्ञान करवा दो, मैं अगर मेरा अतिक्रमण है तो तुरंत हटा लूंगा, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए उसे साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान नही करते हुए दिनांक 20.07.18 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जुर्माना व तीन माह की साधारण कारावास की सजा दी है, जो कतई विधि संगत नही है, क्योकि अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती कब्जा होना साबित नही है। अगर पश्चातवर्ती कब्जा साबित नही है तो अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर के दण्डित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का बिना अवलोकन किये मात्र अपीलांट को दण्डित करने के उद्देश्य से निर्णय पारित कर दिया, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लों स्टाईल में टाईपसुदा कागज है, जिसमें खाली जगह छोडी गई है, जिनको भरकर खानापूर्ति की गई है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अतिक्रमी ने कोई जवाब पेश नही किया, ऐसा निर्णय में लिखा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने जवाब पेश किया है, अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट प्रार्थी द्वारा संपूर्ण नकले मांगी गई। जिसमें भौतिक बेदखली रिपोर्ट की नकल नही दी गई, जो इस बात का द्योतक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व है और अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर के विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट को तीन माह का साधारण कारावास की सजा दी है, जो न्याय संगत नही है, ऐसी स्थिति में भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का कुचेरा जोराराम पुत्र बक्साराम जाट के बयानों के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि उसके बयानों से यह साबित नही होता है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी हो। क्योकि उसने बयानों में बताया है कि "श्री हरीराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी कुचेरा ने खसरा नं. 2292 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै.मु. अंगौर पर नाजायज अतिक्रमण करके कर रखा था, जिस पर मौका देखकर दिनांक 06.05.2018 को इनके विरूद्व धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश कर दी थी, इनको नोटिस प्राप्त होने पर एवं पूर्व में भी बेदखल आदेश करने पर भी अतिक्रमी ने अपना अतिक्रमण आज दिनांक 13.06.2018 तक नही हटाया।" इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया और वो पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। अगर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होता तो पटवारी हल्का कुचेरा यह बताता कि अमुक वर्ष में अमुक दिनांक को अपीलांट को बेदखल किया गया और फर्द बेदखली रिपोर्ट पत्रावली पर पेश है, इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। मात्र अपीलांट को तो उसके द्वारा अन्य अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्व शिकायत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर वैमनस्यतापूर्वक व दबाव बनाने की नियत से कार्यवाही की है और तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है।

{2}(V)–पूर्व में तो अतिक्रमी को मात्र 0.03 बीघा भूमि गै.मु. अंगोर पर कब्जा करने का नोटिस दिया गया व अब 0.11 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है, इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और अपीलांट को बिना किसी सबूत के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वो खारिज करने काबिल है।

{2}(VI)–पटवार हल्का कुचेरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पटवार हल्का ने अपीलांट का कब्जा संवत 2075 के अतिरिक्त पिछले वर्ष संवत 2073 में भी होना कथन किया है, किन्तु इस संबंध मे किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफस, गवाहान के बयान व अन्य किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई तथा न ही किसी प्रकार से यह स्पष्ट किया गया कि अतिक्रमी किस हैसियत से किस रकबे, किस दिशा मे, किस नाप चोप की आराजी पर काबिज है, बगैर नाप चोप किये, बगैर किसी तात्विक मौका रिपोर्ट के सरसरी तौर पर कार्यवाही हाजा अमल में लाई गई है, जो पोषणीय नही है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी नोटिस में दिनांक 04.06.18 को अप्रार्थी / अपीलांट को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया व दिनांक 11.06.2018 को अपीलांट को अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजस्व अभियान में होने से अपीलांट के अधिवक्ता को आगामी पेशी की जानकारी भी नही दी गई,

अपर कलक्टर, नागौर

परंतु जब नकले ली, तो पता चला कि दिनांक 18.6.18, 28.6.18 व 2.7.18 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति बताते हुए दिनांक 02.7.18 को निर्णय जैर अपील 20 रू. जुर्माना राशि व पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से जुर्माना के साथ साथ तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जबकि अपीलांट की उपस्थिति ही नियत समय व तिथी को रही, किन्तु उसे किसी प्रकार से साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समुचित, सम्यक, पर्याप्त व युक्तियुक्त अवसर तक नही दिया गया, जो कि विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 401 की ओर ध्यान दिलाया।

{2}(VIII)–अपीलार्थी को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में परिभाषित करते हुए तमाम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का कुचेरा द्वारा अमल में लाई गई है, जबकि अपीलार्थी का मौके पर संवत 2075 में कभी भी कोई कब्जा नही रहा, न ऐसी कोई स्पष्ट व संगत साक्ष्य ही रही, पटवार हल्का व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की तह तक पहुंचे बगैर तथा मौका स्थिति की साम्यता को परखे बगैर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से संपूर्ण कार्यवाही कर बगैर किसी साक्ष्य के तथा अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के कथनों व रिपोर्ट की तुष्टि करने का प्रयास तक नही किया गया, केवलमात्र पटवार हल्का के अपुष्ट कथनों व रिपोर्ट को गलत प्रकार से आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलार्थी का कतई खसरा नं. 2292 गै.मु. अंगोर की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है, जिसकी तुष्टि किये बगैर ही आदेश जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने बडी भारी कानूनी व वाक्यातीं त्रुटि की है। जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(X)–वास्तविक स्थिति तो यह है कि अपीलांट का खसरा नं. 2292 के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही है, मौके की स्थिति का अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का कुचेरा ने कोई जायजा, मुआयना किये बगैर कार्यालय में बैठकर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से पुनरावृत कब्जा मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है, अपीलांट का खसरा नं. 2292 की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के संलग्न किसी स्वतंत्र गवाह के बयान प्रस्तुत नही किये, न ही किसी प्रकार से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफस इत्यादि सम्यक साक्ष्य ही प्रस्तुत की, अपितु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर नियत समय व तिथी को उपस्थिति के बावजूद नही दिया व अपीलांट के विरूद्व शास्ति व दण्डादेश का आदेश पारित किया है, जो गलत, अनुचित व विधि विरूद्व रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(XI)–अपीलांट के खिलाफ निर्णय जैर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 245/17 के द्वारा अपीलांट को पूर्व मे बेदखल करने और पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जबकि प्रकरण सं. 245/17 मे अपीलांट को बेदखल करने के बाबत कोई फर्द व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नही थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बेदखली करने के उपरांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा कुचेरा में स्थित गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का ग्राम कुचेरा के खसरा नं. 2292 रकबा 0.11 बीघा गै.मु. अंगौर भूमि पर पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील शास्ति, जुर्माना व सिविल कारावास से संबंधित पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पूर्व मे मुकदमा सं. 245/2017 में बेदखली आदेश पारित कर भौतिक रूप से बेदखली किया जाना व भौतिक रूप से बेदखली के बावजूद पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख आया है। जबकि अधीनस्थ

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में मुकदमा सं. 245/17 की मूल पत्रावली अथवा उसमें पारित आदेश की प्रति नही है तथा न ही पूर्व में भौतिक रूप से बेदखली की गई हो, ऐसी कोई फर्द है। यहां तक कि पूर्व में की गई बेदखली को पटवारी के साक्ष्य से भी साबित नही कराया गया है तथा न ही अपीलांट को कोई जिरह का अवसर दिया गया है। सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि पूर्व में जो आराजी से अपीलांट को बेदखल किया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि रेकर्ड पर प्रस्तुत करते उसके पश्चात् भौतिक रूप से बेदखली फर्द को रेकर्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना सक्षम साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नही किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण माना जाना त्रुटिपूर्ण होने से आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑबजरवेशन को ध्यान मे रखते हुए अपीलांट को नोटिस देकर पर्याप्त जवाब, शहादत, सबूत का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश एक माह में पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,नागौर

अपर कलक्टर, नागौर
20/12/18